पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

<u>न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर</u>

प्रकरण क्रमांक / 15 निगरानी

अजबनूर मृत बजाए वारिसान आदि .... आवेदकगण

विरूद्ध

मासूम बाई आदि .... अनावेदकगण

राजस्व 18 5 16

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.राजस्व संहिता ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण ने उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 71/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **रेस्टोरेशन** 9074–पीबीआर/16 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2015, जिसके द्वारा निगरानी अदम पैरवी में खारिज की गई है, के विरूद्ध रेस्टोरेशन आवेदन पत्र दिनांक 18–5–2016 को लगभग 5 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में 1996 आरएन 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मार्यादित विरूद्ध काशीप्रसाद गुप्ता में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– *"धारा 5 – विलम्ब की माफी के लिये आवेदन तथा शपथपत्र फाईल नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।"* अतःउपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अवधि बाहृय होने से निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	